भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2514
दिनांक 10 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं

2514. श्री दर्शन सिंह चौधरीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और सतत भविष्य सुनिश्चित करने हेतु गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) पशुपालन को बढ़ावा देने कि लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के तहत (संविधान के अनुच्छेद 246 (3) पशुओं का संरक्षण एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का विशेष अधिकार है। गाय और उसके गोवंश के महत्व को देखते हुए तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग देशी नस्लों सहित गोपशुओं के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लागू कर रहा है। इस मिशन से देश में गोपशुओं की देशी नस्लों की उपलब्धता में वृद्धि हो रही है। विभाग ने गाय और उसके गोवंश सहित पशुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड की भी स्थापना की है।

भारत सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है:

(I) पशुपालन और डेयरी विभाग दिसंबर 2014 से देशी नस्लों के विकास एवं संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन तथा बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का क्रियान्वयन कर रहा है। देशी नस्लों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, पशुपालन और डेयरी विभाग देशी नस्लों सहित बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कवरेज का विस्तार कर रहा है। आज तक, 7.3 करोड़ पशुओं को कवर किया गया है, 10.17 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं, जिससे 4.58 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ii) संतति परीक्षण और वंशावली चयन: इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांड़ों का उत्पादन करना है, जिसमें देशी नस्लों के सांड भी शामिल हैं। गिर, साहीवाल नस्ल के गोपशुओं और मुर्रा, मेहसाणा नस्ल की भैंसों के लिए संतति परीक्षण लागू किया जाता है। नस्ल चयन कार्यक्रम के तहत राठी, थारपारकर, हरियाना, कंकरेज नस्ल के गोपशुओं और जाफराबादी, नीली रावी, पंढरपुरी और बन्नी नस्ल की भैंसों को शामिल किया गया है। अब तक 3,988 उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांड़ों का उत्पादन किया गया है और उन्हें सीमन उत्पादन हेतु शामिल किया गया है।

(iii) इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक का कार्यान्वयन: देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 22 आईवीएफ प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं और 22,896 व्यवहार्य भ्रूण तैयार किए हैं, जिनमें से 12,846 भ्रूण अंतरित किए गए हैं और 2019 बछड़ों और बछड़ियों का जन्म हुआ है। किसानों को उचित दरों पर तकनीक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आईवीएफ मीडिया लॉन्च किया है।

(iv) सेक्स-सॉर्टेड सीमन उत्पादन: विभाग ने गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित 5 सरकारी सीमन केंद्रों पर सेक्स-सॉर्टेड सीमन उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। 3 निजी सीमन केंद्र भी सेक्स-सॉर्टेड सीमन खुराक का उत्पादन कर रहे हैं। अब तक उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों से 1.12 करोड़ सेक्स-सॉर्टेड सीमन खुराक का उत्पादन किया गया है और कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपलब्ध कराया गया है।

(v) जीनोमिक चयन: गोपशुओं और भैंसों के आनुवंशिक सुधार में तेजी लाने के लिए, विभाग ने एकीकृत जीनोमिक चिप्स विकसित की हैं - देशी गोपशुओं के लिए गौ चिप और भैंसों के लिए महिष चिप - जो विशेष रूप से देश में जीनोमिक चयन शुरू करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

(vi) ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (मैत्री): इस योजना के तहत किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ देने के लिए मैत्री को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 38,736 मैत्री को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है।

(vii) सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य 90% तक सटीकता के साथ बछड़ियों का उत्पादन करना है, जिससे नस्ल सुधार और किसानों की आय में वृद्धि हो। किसानों को सेक्स सॉर्टेड सीमेन की लागत का 50% तक, सुनिश्चित गर्भाधान के लिए सहायता मिलती है । अब तक, इस कार्यक्रम से 341,998 किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने किसानों को उचित दरों पर सेक्स सॉर्टेड सीमन उपलब्ध कराने के लिए देशी रूप से विकसित सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक शुरू की है।

(viii) इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस तकनीक का उपयोग बोवाइन पशुओं के तीव्र आनुवंशिक उन्नयन के लिए किया जाता है और आईवीएफ तकनीक अपनाने में रुचि रखने वाले किसानों को प्रत्येक सुनिश्चित गर्भाधान पर 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है।

(II) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम): विभाग वित्तीय वर्ष 2014-15 से एनएलएम योजना को लागू कर रहा है। क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए एनएलएम योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से संशोधित और पुनर्संरेखित किया गया है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) की संशोधित योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना और इस प्रकार एक छत्र योजना विकास कार्यक्रम के तहत मांस,

बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि को लक्षित करना है। इस योजना में तीन उप-मिशनों और कार्यकलापों की परिकल्पना की गई है। इनका विवरण निम्नानुसार है:

1. पशुधन और पोल्ट्री नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन;
2. आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन;
3. नवाचार, विस्तार संबंधी उप-मिशन

1. पशुपालन और पोल्ट्री नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन: इस उप-मिशन में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:

कार्यकलाप I :- ग्रामीण पोल्ट्री की नस्ल के विकास हेतु उद्यमियों की स्थापना:

(क) व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/ किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/ किसान सहकारी समितियों (एफसीओ)/ संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियों को पैरेंट फार्म (1000 पक्षी) की स्थापना के लिए 25.00 लाख रुपये तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

(ख) छोटे रुमिनेंट्स वाले क्षेत्रों (भेड़ एवं बकरी पालन) में नस्ल विकास के लिए उद्यमी की स्थापना: व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) / किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/ किसान सहकारी समितियों (एफसीओ)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियों को न्यूनतम 100 मादाओं और 10 नरों तथा अधिकतम 500 मादाओं और 25 नरों के साथ भेड़ और बकरी प्रजनन इकाई स्थापित करने के लिए 50.00 लाख रुपये तक 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

कार्यकलाप II. भेड़ और बकरी की नस्लों का आनुवंशिक सुधार: इस कार्यकलाप के अंतर्गत निम्नलिखित उप-कार्यकलाप शामिल हैं:

(i) भेड़ और बकरी के लिए क्षेत्रीय सीमन उत्पादन प्रयोगशाला और सीमन बैंक की स्थापना: भेड़ और बकरी के लिए क्षेत्रीय सीमन केंद्र की स्थापना के लिए पात्र संबंधित राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में 400.00 लाख रुपये तक की एकबारगी अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) राज्य सीमन बैंक की स्थापना: बकरी के हिमित वीर्य को संग्रहीत करने और वितरित करने के लिए मौजूदा गोपशु और भैंस सीमन बैंक को सुदृढ़ करने हेतु राज्य को 10.00 लाख रुपये तक की एकबारगी सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) मौजूदा गोपशु और भैंस कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का प्रचार:
बकरी के हिमित वीर्य के प्रसार के लिए बकरी कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों को मौजूदा गोपशु कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों में सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए 7000/- रुपये तक की एकबारगी सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) विदेशी भेड़ और बकरी जर्मप्लाज्म का आयात:
नॉन-डिस्क्रिप्ट पशुओं में उत्पादकता बढ़ाने के लिए भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज्म के आवश्यकता आधारित आयात के लिए राज्य पशुपालन विभाग को सहायता प्रदान की जाती है।

कार्यकलाप III: सूअर पालन उद्यमी को बढ़ावा देना:

व्यक्तियों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/किसान सहकारी समितियों (एफसीओ)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियों को 30.00 लाख रु. तक की एकबारगी 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

कार्यकलाप IV : सुअर की नस्लों का आनुवंशिक सुधार: इस कार्यकलाप के तहत निम्नलिखित कार्यकलाप कार्यान्वित किए जाते हैं:

(i) सुअर सीमन संग्रहण एवं प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना:

कृत्रिम गर्भाधान के लिए उच्च गुणवत्ता वाले तरल सूअर सीमन का उत्पादन करने हेतु सरकारी सूअर फार्म में सीमन प्रसंस्करण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए पशुपालन विभाग को 150 लाख रुपये तक की एकबारगी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सीमन के पहली बार प्रसंस्करण के लिए लगने वाली सामग्रियों, दवाओं, रसायनों आदि की खरीद के लिए एकबारगी आवर्ती व्यय के रूप में 30 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं।

(ii) विदेशी सुअर जर्मप्लाज्म का आयात: केन्द्र सरकार नॉन-डिस्क्रिप्ट पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने तथा प्रति पशु मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छी गुणता वाले संकर नस्ल के पशुओं का उत्पादन करने हेतु आवश्यकता आधारित सूअर जर्मप्लाज्म के आयात के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है।

कार्यकलाप V: घोड़े, गधे, खच्चर और ऊंट के लिए उद्यमियों की स्थापना: व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/ किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/ किसान सहकारी समितियों (एफसीओ)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियों को 50.00 लाख रुपये तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

कार्यकलाप VI: घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊँट का आनुवंशिक सुधार:

(क) घोड़े, गधे और ऊँट के लिए क्षेत्रीय सीमन केंद्र: देशी घोड़े, गधे, खच्चर और ऊँट के लिए सीमन केंद्र की स्थापना हेतु राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपये तक की एकबारगी अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) घोड़ा/गधा/ऊंट जर्मप्लाज्म के संरक्षण के लिए न्यूक्लियस ब्रीड फार्म: पशुओं के इन-सीटू और एक्स-सीटू *संरक्षण* के लिए *उत्कृष्ट पशुओं के साथ घोड़ा, ऊंट, गधे के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को 10 करोड़* रुपये तक *की* एकबारगी अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) नस्ल पंजीकरण सोसायटी: घोड़े, ऊंट और गधे के लिए नस्ल पंजीकरण सोसायटी की स्थापना हेतु 100% सहायता प्रदान की जाती है।

2. चारा और आहार विकास संबंधी उप-मिशन: चारा और आहार विकास के उप-मिशन में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल होंगे:

(i) गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन हेतु सहायता: केन्द्र और राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा चारा बीज उत्पादन की सभी श्रेणियों के लिए 100% प्रोत्साहन।

(ii) आहार और चारा में उद्यमशीलता संबंधी कार्यकलाप:

व्यक्तियों एसएचजी, एफसीओ, जेएलजी, एफपीओ, डेयरी सहकारी समितियाँ, धारा 8 कंपनियों को घास/सिलेज/कुल मिश्रित राशन (टीएमआर)/चारा ब्लॉक जैसे मूल्य संवर्धन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और 50 लाख रूपए तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है।

(iii) चारा बीज प्रसंस्करण अवसंरचना हेतु उद्यमियों की स्थापना (प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाई/चारा बीज भंडारण गोदाम) कंपनियों, स्टार्ट-अप/एसएचजी/एफपीओ/ एफसीओ/जेएलजी/सहकारी समितियों धारा 8

कंपनियों और अन्य विश्वसनीय संगठनों को चारा बीज प्रसंस्करण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपये तक की एकबारगी 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

(iv) गैर-वन बंजर भूमि/रेंज भूमि/गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन" और "वन भूमि से चारा उत्पादन: लवणीय, अम्लीय और भारी मिट्टी जैसी समस्याग्रस्त मिट्टी के वनस्पति आवरण को बढ़ाने के लिए अवक्रमित गैर-वन बंजर भूमि/रेंज भूमि/चारागाह/गैर-कृषि योग्य भूमि और वन भूमि में विभिन्न प्रकार के चारे के उत्पादन के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

3. नवाचार और विस्तार संबंधी उप-मिशन: इस उप-मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:

(i) अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार:

भेड़, बकरी, पोल्ट्री, सुअर तथा चारा एवं आहार क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए सरकारी संगठनों सहित विश्वसनीय संस्थाओं को 100% सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) विस्तार कार्यकलाप:

सेमिनार, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, पशुपालक समूह, प्रजनक संघ और पशुधन मेलों जैसे आईईसी कार्यकलापों के माध्यम से योजना और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाती है ।

(iii) पशुधन बीमा कार्यक्रम: पशुओं के बीमा कवरेज के लिए प्रीमियम के हिस्से के रूप में राज्य सरकार को 60:40 या 90:10 के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है । लाभार्थी प्रीमियम का 15% हिस्सा साझा करता है।

(III) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम: विभाग फरवरी 2014 से पूरे देश में केंद्रीय क्षेत्र योजना- "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)" को लागू कर रहा है। जुलाई 2014 में, एनपीडीडी योजना का उद्देश्य दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना और संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में हिस्सेदारी बढ़ाना है। इस योजना के दो (2) घटक हैं:-

(i) एनपीडीडी का घटक 'क': एनपीडीडी योजना का घटक क गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ने वाली प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं पर केंद्रित है। परियोजना के तहत अब तक 19,010 डेयरी सहकारी समितियों का गठन/पुनरुद्धार किया गया, 18.17 लाख नए किसानों को डेयरी सहकारी समितियों की सदस्यता का लाभ दिया गया और 97.23 लाख लीटर अतिरिक्त दूध खरीदा गया। 27.93 लीटर प्रतिदिन नई दूध प्रसंस्करण क्षमता स्थापित की गई है। 112.22 लाख लीटर प्रशीतन क्षमता वाले 5110 बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए गए हैं। 38040 स्वचालित दूध संग्रह इकाई और डाटा प्रसंस्करण और दूध विश्लेषक के साथ दूध संग्रह इकाई, 4267 दूध विश्लेषक और 6266 इलेक्ट्रॉनिक दूध मिलावट परीक्षण उपकरण गांव स्तर की डेयरी सहकारी समितियों में स्थापित किए गए हैं। जिला/क्षेत्रीय स्तर पर 231 सहकारी डेयरी संयंत्र जिनमें (मिलावट परीक्षण उपकरण नहीं हैं) मिलावट का पता लगाने वाले उपकरणों से सुसज्जित किए गए हैं और 17 राज्यों में 18 राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं।

(ii) एनपीडीडी का घटक ख: सहकारिताओं के माध्यम से डेयरी (डीटीसी): संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर , डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके और उत्पादकों के स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी

उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना, जिससे परियोजना क्षेत्र में दूध उत्पादकों की आमदनी में वृद्धि करने में योगदान दिया जा सके। अब तक डीटीसी एनपीडीडी घटक ख के तहत 35 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनकी कुल परियोजना लागत 1343.00 करोड़ रुपये है, जिसमें से ऋण घटक 841.55 करोड़ रुपये, अनुदान घटक 388.54 करोड़ रुपये और उत्पादक संस्थानों (पीआई) का हिस्सा 112.92 करोड़ रुपये है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पीआई को आगे के संवितरण के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को कुल 216.97 करोड़ रुपये का अनुदान और 195.06 करोड़ रुपये का ऋण जारी किया गया है।

(IV) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी): विभाग केन्द्रीय क्षेत्र योजना, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के माध्यम से सभी आवश्यक पहल करने और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य 100% केन्द्रीय सहायता के तहत खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी), ब्रुसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन ज्वर (सीएसएफ) जैसे पशु रोगों लिए रोगनिरोधी टीकाकरण द्वारा पशु स्वास्थ्य के जोखिम को कम करना है और पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी) के तहत अन्य राज्य की प्राथमिकता वाले आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशु रोगों के साथ- इसका निधियन पैटर्न साथ केन्द्र और राज्य के बीच 60:40, उत्तर-पूर्वी और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% है। वित्त पोषण पैटर्न साथ इसके अतिरिक्त, पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी-एमवीयू) के घटक के अंतर्गत, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की खरीद और अनुकूलन के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें आवर्ती परिचालन व्यय हेतु उत्तर-पूर्वी और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में; अन्य राज्यों के लिए 60% और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% की सहायता प्रदान की जाती है, ताकि किसानों के द्वार पर टोल-फ्री नंबर (1962) के माध्यम से मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के द्वारा पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें, जिसमें रोग निदान, उपचार, टीकाकरण, मामूली सर्जिकल हस्तक्षेप, दृश्य-श्रव्य सहायता और विस्तार सेवाएं शामिल हैं।

योजना के अंतर्गत प्रगति: (i) एफएमडी के लिए 99.38 करोड़ से अधिक टीकाकरण किए गए हैं, जिसमें चालू वर्ष के दौरान किए गए 27.92 करोड़ टीकाकरण भी शामिल हैं; (ii) ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ब्रुसेलोसिस के लिए लगभग 4.36 करोड़ बछड़ों व बछड़ियों का टीकाकरण किया गया, जिसमें चालू वर्ष के दौरान 1.27 करोड़ बछड़ों व बछड़ियों का टीकाकरण शामिल है; (iii) पीपीआर के लिए कुल 18.4 करोड़ भेड़ और बकरियों का टीकाकरण किया गया; (iv) क्लासिकल स्वाइन ज्वर के लिए लगभग 61 लाख सूअरों का टीकाकरण किया गया और (v) अब तक, 28 राज्यों में 4016 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां कार्य कर रही हैं, 1.23 करोड़ पशुओं का इलाज किया गया और 58.38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

इन योजनाओं के तहत राज्यवार जारी निधियों का ब्यौरा अनुबंध-I से IV में दिया गया है।

*****

अनुबंध- I

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी की गई राज्य-वार निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एनडीडीबी	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
1	आंध्र प्रदेश	439.74	3181.38	5652.385	1546	3538.38	14357.89
2	अरुणाचल प्रदेश	544.7	1240.8	397.08	467.16	1965.31	4615.05
3	असम	0	0	227.97	3658.19	723.25	4609.41
4	बिहार	1230.95	7401.08	3076.14	4928.63	0.00	16636.8
5	छत्तीसगढ़	1019.78	101.25	841.65	402	0.00	2364.68
6	गोवा	97.72	0.00	0.00	0	0.00	97.72
7	गुजरात	942.88	101.25	2735.311	2222.82	6542.58	12544.84
8	हरियाणा	423.48	1796.39	1775.6	1173.66	0.00	5169.13
9	हिमाचल प्रदेश	519.42	484.25	5586.58	0	0.00	6590.25
10	जम्मू और कश्मीर	791.99	81	1533.93	2539.35	0.00	4946.27
11	झारखंड	540.46	101.25	2244.525	1500	0.00	4386.235
12	कर्नाटक	756.47	101.25	1996.46	3562.48	2651.31	9067.97
13	केरल	301.03	313	314	1284.12	6546.27	8758.42
14	मध्य प्रदेश	2155.86	2113.44	6024.963	9049.51	4903	24246.77
15	महाराष्ट्र	1479.71	202.5	0	0	3261.5	4943.71
16	मणिपुर	730.74	500.64	294.98	166.69	0.00	1693.05
17	मेघालय	0	2039.22	738.21	0	0.00	2777.43
18	मिजोरम	0	268.28	154.11	138.69	847.37	1408.45
19	नागालैंड	0	372.06	494.7	608.86	466.2	1941.82
20	उड़ीसा	1090.33	0	3480.425	1374.25	0.00	5945.005
21	पंजाब	2849.33	714.13	0.00	232	0.00	3795.46
22	राजस्थान	1386.15	405	2254.77	250	250	4545.92
23	सिक्किम	677.98	0	268.78	572.42	1097.87	2617.05
24	तमिलनाडु	536.08	2168.38	2663	3347	10996.05	19710.51
25	तेलंगाना	2522.6	202.5	2439.76	0	3153.13	8317.99
26	त्रिपुरा	1066.58	0	2524.17	0	0	3590.75
27	उत्तर प्रदेश	3334.94	1012.5	2941.36	7671.25	9642.18	24602.23
28	उत्तराखंड	508.77	3023.45	2115.44	1885.75	6083	13616.41
29	पश्चिम बंगाल	1026.06	202.5	1213.371	2037.35	6500	10979.28
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
32	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35	लद्दाख		105	0	0	0.00	105
36	पांडिचेरी	0	0	144.44	0	0.00	144.44
37	एनडीडीबी	0	11618.89	12042.9	8893.76	16782.63	49338.18
	कुल	26973.75	39851.39	66177.01	59511.94	85950.03	278464.1

अनुबंध- II

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी की गई राज्य-वार निधियां

(लाख रु. में)

	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	कुल
1	आंध्र प्रदेश	1242.60	1073.125	2981.675	6009.28	1260.00	12566.68
2	बिहार	0 0	0	0	0	0	0.00
3	छत्तीसगढ़	36	1906.17	297.22	0	75.00	2314.39
4	गोवा	0	0	0	0	0	0.00
5	गुजरात	0	0	0	0	155.00	155.00
6	हरियाणा	1440	0	0	0	407.50	1847.50
7	हिमाचल प्रदेश	1456.145	2483.47	0	0	0	3939.62
8	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0.00
9	झारखंड	0	0	0	0	64.00	64.00
10	कर्नाटक	919.304	0	970.49	0	250.00	2139.79
11	केरल	1000	663.00	0	0.00	0.00	1663.00
12	मध्य प्रदेश	0	1089.665	620.965		350.00	2060.63
13	महाराष्ट्र	1855.2	992.072	0	0.00	65.00	2912.27
14	ओडिशा	770	1032.76	0	446.00	0	2248.76
15	पंजाब	0	0	0	369.66	0	369.66
16	राजस्थान	565.94	0	0	0	0	565.94
17	तमिलनाडु	3146.834	1552.16	0	0	0	4698.99
18	तेलंगाना	1123.96	1153.11	542.76	0	0	2819.83
19	उत्तर प्रदेश	1752.65	0	0	0	100.00	1852.65
20	उत्तराखंड	877.2	1680.17	867.66	0.00	198.48	3623.51
21	पश्चिम बंगाल	79.06	0	0	296.63	0	375.69
22	अरुणाचल प्रदेश	1374.64	2456.84	0	261.85	473.70	4567.03
23	असम	1442.18	1089.29	0	0	0	2531.47
24	मणिपुर	959.66	1427.28	784.69	0	0	3171.63
25	मेघालय	2721.23	2995.31	997.43	0	0	6713.97
26	मिजोरम	1453.16	1132.52	0	0	201.99	2787.67
27	नागालैंड	960.18	850.3	809.76	0	50.00	2670.24
28	सिक्किम	139.5	1022.66	0	93.21	93.21	1348.58
29	त्रिपुरा	500	1120.5	0	0	183.47	1803.97
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22.45	13.07	0	0	0	35.52
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0.00
32	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0.00
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0.00
34	दिल्ली	0	0	0	0	0	0.00
35	जम्मू और कश्मीर	0	1747.16	1287.0175	675.35	0.00	3709.52
36	लक्षद्वीप	13.2	59	0	0	0	72.20
37	पुडुचेरी	40.812	0	0	0	0	40.81
38	लद्दाख	0	0	0	308.295	0	308.30
	कुल	25891.91	27539.63	10159.67	8460.27	3927.35	75978.82

अनुबंध- III

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी की गई राज्य-वार निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	कुल
1	आंध्र प्रदेश	878.97	0	671.79	3335.23	3335.23	8221.22
2	अरुणाचल प्रदेश	511.19	0	0	0	0	511.19
3	असम	85	0	0	0	0	85
4	बिहार	1971.65	9966.15	275.3	0	0	12213.1
5	छत्तीसगढ़	464.88	250.95	0	0	0	715.83
6	गोवा	42.5	0	39.81	0	0	82.31
7	गुजरात	573.6	446.95	13693.2	0	574.05	15287.79
8	हरियाणा	616.1	0	502.69	0	0	1118.79
9	हिमाचल प्रदेश	655.93	61.55	1214.33	862.85	250	3044.66
10	जम्मू और कश्मीर	672.13	949.52	7418.56	0	2430.87	11471.08
11	झारखंड	410.78	0	0	410.79	125	946.57
12	कर्नाटक	2018	3564	3566.49	5405.39	2170.28	16724.16
13	केरल	3096.6	705.38	2569.78	48.23	1254.72	7674.71
14	मध्य प्रदेश	1503.33	1013.48	0	0	49.13	2565.94
15	महाराष्ट्र	1314.88	1693.29	0	657.44	692.15	4357.76
16	मणिपुर	575.76	514.62	901.89	0	0	1992.27
17	मेघालय	628.1	821.98	810.91	1463.69	445.44	4170.12
18	मिजोरम	700.45	20.38	0	0	0	720.83
19	नागालैंड	349.8	16.78	200	194.71	0	761.29
20	ओडिशा	804.88	292.5	747.12	137.86	706.1	2688.46
21	पुडुचेरी	42.5	0	39.47	0	25	106.97
22	पंजाब	1311.75	612.5	3590.67	2233.88	2090.35	9839.15
23	राजस्थान	2439.7	1750.22	2931.78	1076.85	3758.84	11957.39
24	सिक्किम	394.1	1047.25	637.2	482.78	950.42	3511.75
25	तमिलनाडु	1314.04	3859.76	259.63	2963.99	3853.44	12250.86
26	तेलंगाना	957.09	919.75	0	930.73	151.56	2959.13
27	त्रिपुरा	5.6	78.99	0	0	604.14	688.73
28	उत्तर प्रदेश	501.64	0	0	0	97	598.64
29	उत्तराखंड	1674.07	0	147.94	784.27	650	3256.28
30	पश्चिम बंगाल	101.79	0	71.47	0	0	173.26
	कुल	26616.81	28586	40290.02	20988.69	24213.72	140695.2

अनुबंध- IV

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी की गई कुल राज्यवार निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020 -21	वर्ष 2021 -22	वर्ष 2022- 23	वर्ष 2023 – 24	कुल
1	आंध्र प्रदेश	5744.74	6396.46	5440	1376.05	8534.26	27491.51
2	अरुणाचल प्रदेश	303.73	867.68	1198.7	0	266.48	2636.59
3	असम	2331.86	40.35	3191.41	558.47	621.51	6743.6
4	बिहार	4852.93	1494.96	4912	895.66	80.15	12235.7
5	छत्तीसगढ़	2258.92	1271.46	3320.02	158.8	1087.97	8097.17
6	गोवा	25.11	64.14	20	0	1352.28	1461.53
7	गुजरात	5085.24	1209.64	889	0	64.75	7248.63
8	हरियाणा	1157.8	1706.39	1120	2754.15	0	6738.34
9	हिमाचल प्रदेश	779.87	1045.39	740.3	0	7066.94	9632.5
10	जम्मू और कश्मीर	1382.42	2689.42	1928.1	240	596.51	6836.45
11	झारखंड	2080.51	2275.07	3776	0	4889.02	13020.6
12	कर्नाटक	4920.98	5036.54	4588.48	998.19	7232.82	22777.01
13	केरल	341.67	455.37	468.5	86.97	318.1	1670.61
14	मध्य प्रदेश	6637.57	4186.07	6496	352.73	0	17672.37
15	महाराष्ट्र	5873.53	1871.77	2663.03	0	635.11	11043.44
16	मणिपुर	641.92	1978.49	992.02	314.01	644.51	4570.95
17	मेघालय	473.27	141.06	732.41	0	0	1346.74
18	मिजोरम	367.84	68.91	1134.03	116.66	19259.84	20947.28
19	नागालैंड	49.01	34.23	320.25	18.68	1998.68	2420.85
20	ओडिशा	3095.9	1597.33	2896	0	3639	11228.23
21	पंजाब	546.55	2383.11	1120	0	621.28	4670.94
22	राजस्थान	5266.41	2761.79	10428.53	0	2299.69	20756.42
23	सिक्किम	27.49	14.22	167.57	232.57	271.32	713.17
24	तमिलनाडु	3313.69	1938.3	4305.2	0	129.49	9686.68
25	तेलंगाना	4848.58	544.42	5174.76	0	262.78	10830.54
26	त्रिपुरा	142.86	1255.05	253.2	0	115.48	1766.59
27	उत्तर प्रदेश	10493.02	12528.95	12769.26	7339.84	251.07	43382.14
28	उत्तराखंड	1049.44	417.53	1246.97	535.1	59.76	3308.8
29	पश्चिम बंगाल	3245.06	1477.5	3488	670	11.48	8892.04
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	38.99	2.8	6.32	80	3.76	131.87
31	चंडीगढ़	8.48	6.98	0	0	0	15.46
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4.37	2.25	0	0	2.77	9.39
33	दिल्ली	25.47	49.1	48	0	0	122.57
34	लक्षद्वीप	3.2	148.05	144	0	1885.42	2180.67
35	पुडुचेरी	17.92	18.06	163.33	0	60.27	259.58
36	लद्दाख	3.65	4.78	16	48	0	72.43
कुल		77440	57983.62	86157.39	16775.88	64262.5	302619.4